

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:— प. 7(8)वन/2024-08113

आदेश

विषय:— वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं वन्यजीवों के संवर्धन संरक्षण हेतु वन मित्रों के पंजीयन एवं कार्य संबंधी आदेश।

उद्देश्य:

वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में पौधों एवं वन्यजीवों के समुचित पालन और रक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक योगदान देने वाले स्थानीय व्यक्तियों को वनमित्र के रूप में पंजीयन किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम दो वन मित्रों का पंजीयन किया जायेगा। इनका कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत में आने वाला वनक्षेत्र/पंचायत क्षेत्र होगा।

कार्यक्षेत्र (Scope) :

1. वृक्षारोपण कर पौधों की समुचित देखभाल/संवर्धन एवं संरक्षण करना
2. वन भूमि/गैर वन भूमि/राजकीय भूमि पर सरकार द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने में महति भूमिका
3. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों आयोजित करना।
4. वन्यजीवों के शिकार को रोकने/बंधक बनाने की गतिविधियों पर रोकथाम
5. घायल वन्यजीवों के उपचार में सहायता करना
6. वन भूमि पर अतिक्रमण गतिविधियों को रोकने हेतु सतत् निगरानी एवं सूचना तंत्र विकसित करना
7. वन क्षेत्र/भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों को रोकने हेतु सतत् निगरानी एवं सूचना तंत्र विकसित करना

पात्रता :

संबंधित पंचायत के क्षेत्र का मूल निवासी हो। सेवानिवृत्त सेन्य कर्मचारी/अन्य सैनिक कर्मचारी, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार में विभिन्न सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो, जो वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए तत्पर हो, का प्राथमिकता से वनमित्र के रूप में पंजीयन किया जायेगा। इसी प्रकार अन्य सामान्य नागरिक जो वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए तत्पर हो, किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण/वन्य अपराध में लिप्त न हो, भी आवेदन कर सकेंगे।

वन मित्र का पंजीयन :

वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए वनमित्र के रूप में पंजीयन हेतु प्रत्येक जिले में स्थित उप वन संरक्षक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप प्रपत्र-1 संलग्न है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से न्यूनतम दो वनमित्रों का पंजीयन किया जावेगा। प्रत्येक वन-मित्र द्वारा प्रतिवर्ष स्वैच्छिक न्यूनतम 10 पौधे लगाने एवं उनका संरक्षण करने की अपेक्षा की जाती है।



प्राप्त आवेदनोँ में से उपयुक्त स्वप्रेरित व्यक्तियों के चयन हेतु उप वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. उप वन संरक्षक- अध्यक्ष
2. संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी-सदस्य सचिव
3. प्रत्येक ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, अध्यक्ष-सदस्य

उक्त समिति द्वारा उपयुक्त स्वप्रेरित व्यक्तियों का वनमित्र के रूप में पंजीयन करने की अनुशंसा की जावेगी।

इस प्रकार पंजीबद्ध वनमित्र को परिचय पत्र, बाजुबंध दिये जावेंगे। सीएसआर फंड से ट्रेक सूट एवं जूते उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। साथ ही टोर्च एवं डंडा को शामिल करते हुए किट भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

कार्य अवधि :

वनमित्र का उप वन संरक्षक द्वारा एक वर्ष के लिये पंजीयन किया जायेगा। एक वर्ष पश्चात वनमित्र द्वारा वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में किए गये कार्यों की समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी और यदि उनके कार्य संतोषप्रद पाये जावे तो फिर से एक वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

वनमित्रों को प्रशिक्षण:

- पंजीबद्ध वनमित्रों का प्रशिक्षण वन मंडल स्तर पर किया जावेगा, जिसमें विभाग की समस्त गतिविधियाँ, उनके प्रचार-प्रसार की सामग्री, वनमित्रों के दायित्व एवं वनमित्रों से अपेक्षाएँ के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावेगा।
- वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों/ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान/जलवायु परिवर्तन इत्यादि बिन्दुओं पर समय-समय पर प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित की जावेगी।
- पौधशालाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जावेगा।

2. मान्यता (Recognition) एवं प्रोत्साहन :

- पंजीबद्ध वन मित्रों की सूची सम्बन्धित थाना, तहसील, उपखण्ड कार्यालय/उपाधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी। इनके द्वारा अवैध खनन/अवैध कटाई/वनभूमि पर अतिक्रमण एवं वन्यजीवों के शिकार/घायल होने की सूचना को प्राथमिक आधार मान कर सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश प्रसारित किये जावेंगे।
- वनमित्र को अपने जीवनसाथी (spouse) के साथ भ्रमण हेतु वर्ष में एक बार रणथम्भौर, सरिस्का बाघ परियोजना, झालाना में से किसी एक स्थान पर या उसकी पसन्द अनुसार राजस्थान के किसी एक संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) में निशुल्क प्रवेश देय होगा।
- वनमित्रों को वन विभाग द्वारा आयोजित वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधित कार्यक्रमों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा।
- अमृता देवी पुरस्कार के लिए कार्य की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें पात्र माना जाएगा।



- स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस/पर्यावरण दिवस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन/सेवा पर ऐसे वनमित्रों को पुरस्कृत/सम्मानित किया जावेगा।
- वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में सेवा के दौरान दुर्घटना/घायल/मृत्यु होने पर सात्वना राशि/सहायता राशि/निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

वन मित्र विद्यटन/निष्कासन:

वनमित्रों द्वारा वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में किये जाने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग उप वन संरक्षक स्तर पर की जावेगी। कदाचार/दुर्व्यवहार या असंतोषजनक प्रदर्शन, किसी आपराधिक कृत्य/वन्य अपराध में लिप्त पाये जाने पर वन मित्र को संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हटाया जा सकता है। वनमित्र को राज्य सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण/समावेश/नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(बी.जी. जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
4. सुयंक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान।
7. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई.टी./विकास।
8. समस्त जिला कलेक्टर.....।
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक.....।
10. समस्त कार्यालय उप वन संरक्षक.....।
11. रक्षित पत्रावली।

(बी.जी. जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव

वन मित्र के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,
उप वन संरक्षक,

फोटो

विषय:- वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में स्वैच्छिक सहयोग हेतु 'वनमित्र योजना' अन्तर्गत आवेदन।

महोदय,

मैं..... पुत्र/पुत्री/पति श्री.....
निवासी.....आपके वनमण्डल के अंतर्गत ग्राम पंचायत.....
.....में वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए वन-मित्र
के रूप में ग्रामीण जन समुदाय में जागरूकता का संचार एवं संबंधित कार्य करने का इच्छुक हूँ।
मेरे संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:-

1. नाम
2. पिता का नाम
3. निवासी
4. पंचायत का नाम
5. शैक्षणिक योग्यता
6. जन्म तिथि
7. चयनित वर्ष की 1 जनवरी को आयु
8. पर्यावरण वन्य जीव एवं वन संरक्षण के क्षेत्र में मेरे द्वारा किये गये कार्य
9. शपथ पत्र-अ) यदि मेरा चयन वनमित्र के रूप में कर लिया जाता है तो राज्य सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण/समावेश/नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा।
ब) मैं वन एवं वन्यजीव से संबंधित अपराध या किसी भी प्रकार के अन्य अपराध में लिप्त नहीं रहा हूँ। यदि भविष्य में यह सूचना गलत पाई जाती है तो मुझे वनमित्र के कार्य से पृथक कर दिया जाये।

संलग्न:

1. प्रमाण पत्र जन्म तिथि
2. प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता
3. प्रमाण पत्र मूल निवास
4. राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र

भवदीय

दिनांक

नाम मय हस्ताक्षर

